RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 16
अंक : 004
दि. 04.05.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल की सियासी जंग का निर्णायक दिन: ममता का किला बरकरार या भाजपा का ऐतिहासिक उलटफेर?

जीएनएस)। कोलकाता में राजनीतिक तापमान चरम पर है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य की 293 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब सबकी नजरें मतगणना पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि सत्ता की कमान एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथों में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बनाने का इतिहास रचेगी।

इस चुनाव को पिछले एक दशक की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा और भविष्य की वैचारिक धारा को भी तय करने वाला मुकाबला है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रमुख दलों ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए और विकास, भ्रष्टाचार, सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं को केंद्र में रखकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की।

इस बार मतदान प्रतिशत ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2011, 2016 और 2021 के चुनावों की तुलना में इस बार मतदान 92 प्रतिशत से भी अधिक पहुंच गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। पहले चरण में 152 सीटों पर बड़ी संख्या में अतिरिक्त वोटिंग दर्ज की गई, जबकि दूसरे चरण में भी मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और राजनीतिक मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता ने इस उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस चुनाव में सामाजिक और भौगोलिक विभाजन भी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों और मुस्लिम मतदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई, जबकि दूसरे चरण में शहरी और मध्यमवर्गीय मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा रहा। यह विभाजन चुनाव परिणामों को कई सीटों पर निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। भाजपा ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी और उसने सरकार विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पार्टी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवाद, नौकरी घोटाले के आरोप और कुछ इलाकों में प्रशासनिक असंतोष ने

भाजपा को आक्रामक अभियान चलाने का अवसर दिया। पार्टी का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और लंबे समय से चल रही एक ही सरकार से थक चुकी है।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जमीनी पकड़ और सामाजिक कल्याण योजनाओं के सहारे फिर से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की है। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार, छात्राओं के लिए कन्याश्री और अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में मजबूत आधार तैयार किया है। पार्टी का मानना है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इस चुनाव में केवल दो मुख्य दल ही नहीं, बल्कि तीसरे मोर्चे की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। वाम दलों, कांग्रेस और अन्य छोटे संगठनों की उपस्थिति कई सीटों पर वोटों के विभाजन का कारण बन सकती है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। कई सीटों पर हार-जीत का अंतर बेहद कम रहने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा, मतदाता सूची से नाम हटाने और SIR (Special Intensive Revision) जैसे मुद्दों ने भी राजनीतिक बहस को तेज किया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे कई वास्तविक मतदाता मतदान से वंचित रह गए, जबकि सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया केवल सूची को शुद्ध करने के लिए की गई थी।

अब जब मतगणना का समय नजदीक है, तो पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। पार्टी कार्यालयों में जहां एक ओर जीत का भरोसा जताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संभावित हार-जीत को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। समर्थक सुबह से ही मतगणना केंद्रों के बाहर जुटने लगे हैं और हर रुझान पर निगाहें टिकाए हुए हैं।

यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने का भी चुनाव माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी की स्थापित राजनीतिक पकड़ और कल्याणकारी मॉडल है, तो दूसरी ओर भाजपा का आक्रामक अभियान और बदलाव का संदेश। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जनता किसे जनादेश देने जा रही है।

अब पूरा देश इस परिणाम का इंतजार कर रहा है कि क्या बंगाल में एक बार फिर ममता का जादू कायम रहेगा या फिर इतिहास पहली बार करवट लेगा और कमल राज्य की सत्ता में खिलेगा।

एफआईआर पर सियासी टकराव: संदीप पाठक के आरोपों से गरमाया माहौल

जीएनएस)। नई दिल्ली और पंजाब के बीच फैले इस राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जैसे-जैसे चुनावी और वैचारिक संघर्ष तेज होते हैं, वैसे-वैसे आरोप-प्रत्यारोप भी गहराते जाते हैं। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दर्ज दो एफआईआर ने सियासी हलचल को अचानक तेज कर दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पाठक ने इन मामलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर इसे "सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग" बताया है। दिल्ली स्थित उनके आवास के आसपास पुलिस की गतिविधियां बढ़ने के बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया। सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीम उनके घर तक पहुंची, हालांकि उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे। इस घटनाक्रम ने न केवल पंजाब की राजनीति को गर्म किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है या यह कानून के दायरे में की गई सामान्य कार्रवाई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक ने कहा कि उन्हें अभी तक इन एफआईआर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वे संबंधित दस्तावेज नहीं देख लेते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता और सिद्धांतों पर आधारित रहा है, और वे किसी भी प्रकार की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वे खुद को राजनीतिक रूप से निशाना बनाए जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कानूनी प्रक्रिया का सम्मान भी जता रहे हैं।

इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है—उनका पार्टी परिवर्तन। संदीप पाठक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि यह निर्णय लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों का परिणाम था। उन्होंने राघव चड्ढा के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कई मुद्दों पर असहमति थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, दर्ज एफआईआर में वित्तीय अनियमितताओं और एक महिला से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं, जिनमें गैर-जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि और उनकी सच्चाई का निर्धारण अभी जांच के अधीन है। यही वह बिंदु है, जहां राजनीति और कानून का संतुलन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक ओर आरोप हैं, जो गंभीर प्रकृति के बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपी का यह दावा है कि यह सब राजनीतिक दबाव का हिस्सा है। इस तरह के मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियों के सामने धीरे-धीरे स्पष्ट होती है, लेकिन तब तक राजनीतिक माहौल काफी हद तक प्रभावित हो चुका होता है। विपक्षी दल इस मुद्दे को सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इसे कानून के पालन की प्रक्रिया बताता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य बनता नजर आ रहा है।

दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में इस घटनाक्रम का असर दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर पंजाब में दर्ज मामलों को लेकर स्थानीय राजनीति में हलचल है, वहीं दिल्ली में पुलिस की सक्रियता ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। यह स्थिति बताती है कि आज की राजनीति में कोई भी घटना सीमित दायरे में नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव तेजी से व्यापक हो जाता है।

संदीप पाठक ने यह भी कहा कि वे भाजपा में शामिल होने के बाद भी अपने "राजनीतिक धर्म" का पालन करेंगे। यह बयान एक तरह से उनके समर्थकों को संदेश देने का प्रयास है कि उनका मूल दृष्टिकोण और कार्यशैली नहीं बदलेगी, भले ही पार्टी बदल गई हो। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वे इस नए राजनीतिक परिवेश में खुद को किस तरह स्थापित करते हैं और इन आरोपों का सामना कैसे करते हैं।

विकास की नई लहर: वधावन मेगा पोर्ट परियोजना को ग्रामीण सहमति से मिली गति

जीएनएस)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रस्तावित वधावन मेगा पोर्ट परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह विवाद नहीं, बल्कि स्थानीय सहयोग और विकास की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम है। लंबे समय से अटकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अब नया जीवन मिला है, जब क्षेत्र के 124 ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन प्रशासन को सौंप दी। यह कदम न केवल प्रशासन के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि विकास और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाना संभव है।

पालघर के वरोर गांव में स्थित यह जमीन लगभग 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 41 उपखंड शामिल हैं। यह वही क्षेत्र है जिसे भविष्य के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर असहमति और प्रक्रियात्मक अड़चनों के कारण परियोजना की गति धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब ग्रामीणों की सहमति ने इस बाधा को काफी हद तक दूर कर दिया है, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बंदरगाह योजनाओं में से एक मानी जाती है। दहानू के पास प्रस्तावित यह वधावन मेगा पोर्ट एक ग्रीनफील्ड और ऑल-वेदर पोर्ट होगा, जिसे

AI Image

संयुक्त रूप से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 76,220 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल करती है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। सरकार का लक्ष्य है कि इस पोर्ट को दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल किया जाए, जिससे भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिल सके।

परियोजना के तहत अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 मल्टीपर्पज बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो सुविधा और एक कोस्ट गार्ड बर्थ शामिल होंगे। इसके अलावा समुद्र में लगभग 1,448 हेक्टेयर भूमि का निर्माण किया जाएगा, साथ ही 10.14 किलोमीटर लंबा ब्रेकवाटर भी तैयार होगा, जो बंदरगाह को प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री प्रभावों से सुरक्षित रखेगा। बड़े पैमाने पर कार्गो स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा, जिससे यह पोर्ट एक आधुनिक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर सके। इस परियोजना के शुरू होने के बाद भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। मुंबई के पास स्थित होने के कारण यह पोर्ट न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण हब बन सकता है। इससे आयात-निर्यात की क्षमता बढ़ेगी, शिपिंग लागत में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक कुशल होगा।

स्थानीय स्तर पर इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। निर्माण कार्य से लेकर संचालन और लॉजिस्टिक्स तक हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। इससे पालघर और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि, इस परियोजना का इतिहास पूरी तरह सरल नहीं रहा है। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और पर्यावरणीय चिंताएं सामने आई थीं। लोगों को आशंका थी कि इस बड़े पैमाने की परियोजना से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है और उनकी आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अब जिस तरह से 124 ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन सौंपने का निर्णय लिया है, उसे एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

प्रशासन का मानना है कि यह कदम सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। जब विकास योजनाएं केवल ऊपर से थोपी नहीं जातीं, बल्कि संवाद और सहमति के आधार पर आगे बढ़ती हैं, तो उनका प्रभाव अधिक स्थायी और सकारात्मक होता है। यही कारण है कि इस घटनाक्रम को परियोजना के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।

अब प्रशासन की प्राथमिकता शेष प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर निर्माण कार्य शुरू करने की है। भूमि हस्तांतरण के बाद परियोजना के तकनीकी और पर्यावरणीय पहलुओं पर काम तेज किया जाएगा, ताकि समयबद्ध तरीके से इसे पूरा किया जा सके। सरकार की कोशिश है कि यह पोर्ट न केवल भारत के समुद्री व्यापार को मजबूत करे, बल्कि स्थानीय विकास का भी एक बड़ा उदाहरण बने।

समयबद्ध ट्रैफिक अनुशासन की ओर राजधानी का बड़ा कदम

जीएनएस)। नई दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव, दुर्घटनाओं की चुनौती और नियमों की अनदेखी के बीच अब व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक नई समयबद्ध और डिजिटल प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है, जो न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास को भी मजबूत करने का प्रयास करेगी। इस नई व्यवस्था की घोषणा रेखा गुप्ता ने की, जिसमें स्पष्ट संकेत है कि अब ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेने की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा।

नई प्रणाली के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसी भी ट्रैफिक चालान के जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के पास केवल 45 दिनों का समय होगा। इस अवधि के भीतर उसे यह तय करना होगा कि वह जुर्माना भरना चाहता है या चालान के खिलाफ आपत्ति दर्ज करना चाहता है। यह आपत्ति भी अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दर्ज की जा सकेगी, जहां व्यक्ति अपने पक्ष में आवश्यक सबूत अपलोड कर सकेगा। यदि तय समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो चालान को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा और इसके बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य हो जाएगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो अब तक चालानों को टालते रहते थे या उन्हें नजरअंदाज करते थे।

दिल्ली सरकार का यह कदम केवल समयसीमा तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का भी प्रयास है। अब चालान जारी करने में कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का व्यापक उपयोग किया जाएगा। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे

और ऑटोमेटेड सिस्टम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को तुरंत रिकॉर्ड करेंगे और उसके आधार पर चालान जारी होगा। इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। चालान की सूचना अधिकतम तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी, जबकि 15 दिनों के भीतर उसका भौतिक नोटिस भी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह नागरिकों को समय पर जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे।

इस नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सभी चालानों का रिकॉर्ड एक डिजिटल पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा। इससे न केवल डेटा का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमाण भी आसानी से उपलब्ध रहेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड की यह व्यवस्था प्रशासन के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि इससे निगरानी और विश्लेषण के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, किन क्षेत्रों में अधिक नियम उल्लंघन हो रहा है या किन समयों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इसका विश्लेषण कर नीतियों में सुधार किया जा सकेगा।

हालांकि इस नई प्रणाली का सबसे सख्त और प्रभावशाली पहलू वह है, जिसमें समयसीमा का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चालान का निपटारा तय समय में नहीं करता, तो उसके वाहन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों को रोक दिया जाएगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन का पंजीकरण, टैक्स भुगतान जैसी सेवाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। यह कदम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अब नियमों के उल्लंघन को केवल आर्थिक दंड तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी सख्ती बरती जाएगी। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि एक अनुशासित और जिम्मेदार ट्रैफिक संस्कृति का निर्माण करना है। दिल्ली जैसे महानगर में, जहां हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं, वहां ट्रैफिक नियमों का पालन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि सामूहिक हित के लिए भी अनिवार्य है। अक्सर देखा गया है कि लोग छोटे-छोटे नियमों की अनदेखी कर देते हैं—जैसे रेड लाइट जंप करना, बिना हेलमेट वाहन चलाना या गलत दिशा में गाड़ी ले जाना—लेकिन यही छोटी लापरवाहियां बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं।

सरकार की यह पहल इस सोच को बदलने का प्रयास है कि नियम केवल औपचारिकता हैं। अब नियमों का पालन करना एक अनिवार्य जिम्मेदारी बन जाएगा, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को भी एक पारदर्शी मंच मिलेगा, जहां वे अपनी बात रख सकेंगे और यदि उन्हें लगता है कि चालान गलत है, तो वे उचित प्रक्रिया के तहत उसे चुनौती दे सकेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। केवल कानून सख्त करने से ही बदलाव नहीं आता, बल्कि उसके प्रति जागरूकता और स्वेच्छा से पालन करने की भावना भी जरूरी होती है। यदि लोग इसे केवल दंडात्मक कदम के रूप में देखते हैं, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि इसे एक सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात प्रणाली की दिशा में कदम के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

अंततः, दिल्ली सरकार की यह नई पहल एक व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और सख्ती को मिलाकर एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। यह कदम न केवल राजधानी के लिए, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा के स्तर को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

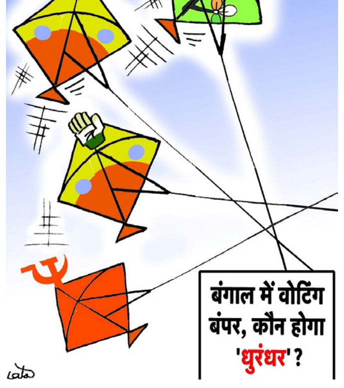

संपादकीय

शिक्षकों के बिना शिक्षा करीब दस लाख पद खाली

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है, और शिक्षक उस आधारशिला के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। ऐसे में यदि देशभर में लाखों शिक्षकों के पद वर्षों से रिक्त पड़े हों, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक गंभीर खिलवाड़ भी है। यह अत्यंत निराशाजनक है कि शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को लगातार इस मुद्दे पर चिंता जतानी पड़ रही है, बावजूद इसके राज्यों की ओर से अपेक्षित तत्परता देखने को नहीं मिल रही। समिति ने पिछले वर्ष भी स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर मार्च तक भर लिया जाना चाहिए। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। यही कारण है कि अब समिति को यह कठोर सुझाव देना पड़ा कि जो राज्य शिक्षकों के रिक्त पद भरने में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकी जाए। यह सुझाव भले ही दबाव बनाने के उद्देश्य से दिया गया हो, लेकिन इसके परिणाम उलटे भी हो सकते हैं। वित्तीय सहायता बंद होने की स्थिति में कुछ राज्य और अधिक शिथिलता दिखा सकते हैं, जिससे समस्या और गहराने की आशंका है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देशभर में लगभग दस लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिनमें से करीब साढ़े सात लाख पद प्राथमिक स्तर के हैं। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षा की नींव ही कमजोर की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा वह आधार होती है, जिस पर पूरे शैक्षिक जीवन की इमारत खड़ी होती है। यदि इसी स्तर पर शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, तो बच्चों की बुनियादी समझ, भाषा कौशल और गणितीय क्षमता कमजोर रहना स्वाभाविक है। विभिन्न सर्वेक्षणों ने बार-बार इस सच्चाई को उजागर किया है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्र बुनियादी गणित और भाषा कौशल में पिछड़ रहे हैं। चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चे साधारण जोड़-घटाव करने में असमर्थ पाए जाते हैं, और कई बच्चे सरल वाक्य भी ठीक से नहीं लिख पाते। यह केवल बच्चों की क्षमता का प्रश्न नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों का परिणाम है। जब कक्षाओं में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना व्यर्थ है। राज्यों की उदासीनता इस समस्या का मूल कारण प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में लाखों पद रिक्त हैं। यहां तक कि हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत संपन्न और छोटे राज्य में भी हजारों पद खाली हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि समस्या किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। यह भी एक विडंबना है कि राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ तो उठाना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में रुचि नहीं दिखातीं। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य ही स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करना है, लेकिन यदि शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, तो इस योजना का लाभ अधूरा रह जाएगा। यह एक प्रकार की प्रशासनिक असंगति है, जहां संसाधन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। समस्या के समाधान के लिए केवल चेतावनी या वित्तीय दबाव पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एक समन्वित और प्रतिबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले राज्यों को यह समझना होगा कि शिक्षा पर किया गया निवेश खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और निरंतर बनाना होगा। साथ ही, शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल भी इस दिशा में सहायक हो सकता है। यदि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करे और उसकी नियमित निगरानी करे, तो स्थिति में सुधार संभव है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर भी जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कागजों तक सीमित न रहे। अंततः, यह समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। यदि आज बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कल वे न तो स्वयं के लिए बेहतर अवसर बना पाएंगे और न ही देश के विकास में अपेक्षित योगदान दे सकेंगे। इसलिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व है, जिसे टालना अब संभव नहीं।

पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बने

> “भारत में बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन एक गहरी पारिस्थितिकीय समस्या को उजागर करते हैं, जो मानव-निर्मित हैं। विकास योजनाओं और पर्यावरणीय लापरवाही ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है।

भारत में मौसम का बदलता मिजाज और वैशाख के महीने में जेठ जैसी तपिश का अहसास होना अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरे पारिस्थितिक संकट की चेतावनी है। अक्सर भीषण गर्मी और लू के लिए अल नीनो या वैश्विक जलवायु परिवर्तन को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संकट काफी हद तक मानव-निर्मित है। आज हम जिस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वह वैश्विक वायुमंडलीय बदलावों और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति बरती गई नीतिगत लापरवाही का एक मिला-जुला परिणाम है। जब हम अपनी विकास योजनाओं के नाम पर हज़ारों हेक्टेयर प्राथमिक जंगलों, पहाड़ियों और जल निकायों को नष्ट करते हैं, तो हम अनजाने में उन प्राकृतिक 'कूलिंग एजेंटों' को खत्म कर देते हैं जो इस तपिश के खिलाफ हमारी एकमात्र सुरक्षा थे। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में, जहां तापमान अब नियमित रूप से 48 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छूने लगा है, यह स्पष्ट है कि हमारी विकास की भूख ने धरती के प्राकृतिक थर्मोस्टेट को बिगाड़ दिया है।

इस मानव-निर्मित गर्मी की सबसे प्रत्यक्ष और क्रूर मार उन मजदूरों और सड़क किनारे काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ती है जो इस ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। भारत के करोड़ों निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और गिग-इकोनॉमी के कर्मचारी इस गर्मी को केवल एक आंकड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक शारीरिक हमले के रूप में महसूस करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, गर्मी के कारण भारत को 2030 तक अपने कुल कामकाजी घंटों का 5.8 प्रतिशत हिस्सा खोना पड़ सकता है, जो लगभग 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। बांदा जैसे शहरों में, कंक्रीट और कोलतार की सड़कें गर्मी को सोखकर रात में भी उसे वापस छोड़ती हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव पैदा होता है और स्थानीय तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक

अधिक बना रहता है। नीतिगत स्तर पर मजदूरों के लिए 'छाया का अधिकार' या लू के दौरान काम के घंटों में बदलाव जैसे नियम केवल कागजों तक सीमित हैं, जो हमारे विकास के उस अंधेपन को दर्शाते हैं जहां श्रम को एक जैविक इकाई के बजाय केवल एक मशीन समझा जाता है।

गर्मी का यह घातक रूप हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। 'थर्मल शॉक' के कारण गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के दाने दूध भरने की अवस्था में ही सूख रहे हैं, जिससे पैदावार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। मिट्टी की नमी खत्म होने से उपजाऊ जमीन अब मरुस्थल में बदल रही है, फिर भी हमारी नीतियां सूखे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह, जंगलों के विखंडन और अवैध खनन ने वन्यजीवों के लिए भोजन का संकट पैदा कर दिया है। छतरपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में, खनन के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप जंगली जानवरों का बस्तियों की ओर आना 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह केवल मानव-पशु संघर्ष नहीं है, बल्कि उस पारिस्थितिक सुरक्षा चक्र का टूटना है जो इंसानों और जानवरों को एक साथ सुरक्षित रखता था।

वर्तमान 'हीट एक्शन प्लान' (एचएपी) की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे केवल शहरों में मौतों को रोकने पर केंद्रित हैं, जबकि जमीन, जल और मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। अब समय आ गया है कि नीतिगत स्तर पर 'वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जहां मिट्टी की नमी, पशुधन का स्वास्थ्य और वन्यजीवों का संरक्षण एक ही इकाई के रूप में देखा जाए। हमें केवल पौधारोपण की रस्म अदायगी से ऊपर उठकर बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाबों जैसे पारंपरिक जल-प्रबंधन तंत्र को पुनर्जीवित करना होगा। ये तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय पारिस्थितिकी को ठंडा रखने के विकेंद्रीकृत साधन थे। नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि राजमार्गों के लिए काटे गए पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, बल्कि वे उस सूक्ष्म-जलवायु का हिस्सा थे जो फसलों को झुलसने से बचाती थी। हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। बुंदेलखंड में पत्थर खनन के लिए काटी गई हर पहाड़ी और उत्तराखंड में कंक्रीट के विस्तार के लिए नष्ट की गई हरियाली हमारे भविष्य की ठंडी हवाओं को रोक रही है। आर्थिक लाभ की तुलना में गर्मी के कारण होने वाला स्वास्थ्य और कृषि का नुकसान कहीं अधिक है। भविष्य की नीतियों की सफलता अब इस जवाबदेही पर टिकी है कि हम बुनियादी ढांचे के निर्माण में 'ग्रीन इंजीनियरिंग' को कितनी प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को कब बंद करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। तभी हम इस मानव-निर्मित भट्टी से बाहर निकल पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी धरती दे पाएंगे जो केवल झुलसती नहीं, बल्कि जीवन भी प्रदान करती है।

प्रेरणा

सभ्यता के दबाव में लोक का मौन और उसका पुनर्जागरण

भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए 'लोक' और 'सभ्यता' के बीच के संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यही वह बिंदु है, जहां से विनोद शाही की पुस्तक नव लोक-संस्कृति विमर्श एक गहरे और विचारोत्तेजक विमर्श की शुरुआत करती है। यह कृति केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक द्वंद्व की गंभीर पड़ताल है, जिसमें लोक अपनी स्वाभाविकता और जीवंतता के साथ उपस्थित है, जबकि सभ्यता उसे नियंत्रित, परिभाषित और कई बार सीमित करने का प्रयास करती है। शाही का चिंतन इस पूरे परिदृश्य को किसी सतही नजरिये से नहीं, बल्कि गहन बौद्धिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।

लोक का स्वभाव मूलतः स्वतंत्र, गतिशील और प्रकृति के निकट होता है। यह किसी नियमावली या औपचारिक संरचना में बंधा नहीं रहता, बल्कि समय, परिस्थिति और अनुभवों के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। इसके विपरीत, सभ्यता एक ऐसी संरचना है, जो व्यवस्था, नियंत्रण और स्थायित्व पर आधारित होती है। जब सभ्यता लोक के संपर्क में आती है, तो वह उसे अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करती है। यही प्रक्रिया 'सभ्यताकरण' कहलाती है, जिसके माध्यम से लोक के सहज और स्वाभाविक रूप को एक निश्चित रूप में ढाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लोक की मौलिकता कहीं न कहीं क्षीण हो जाती है।

विनोद शाही इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोक को पहले सभ्य बनाया जाता है और फिर उसे संस्कृति के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। यह संरक्षण दिखने में सकारात्मक प्रतीत होता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी विडंबना छिपी होती है। जब लोक को संरक्षित किया जाता है, तो वह एक जीवंत प्रक्रिया के बजाय एक स्थिर वस्तु बन जाता है। वह संग्रहालयों, उत्सवों और आयोजनों तक सीमित हो जाता है, जहां उसकी प्रस्तुति तो होती है, लेकिन उसका वास्तविक जीवन-संबंध समाप्त हो जाता है। इस तरह लोक अपने ही अस्तित्व से कटकर केवल एक प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। यहां से शाही उस वर्चस्ववादी संस्कृति की आलोचना करते हैं, जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए लोक को हाशिये पर धकेल देती है। यह वर्चस्व केवल सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि ज्ञान और सौंदर्यबोध के स्तर पर भी कार्य करता है। जो चीजें 'लोक' से आती हैं, उन्हें अक्सर कमतर या असभ्य मान लिया जाता है, जबकि 'सभ्य' मानी जाने वाली चीजों को श्रेष्ठता का दर्जा दिया जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता के लिए भी घातक है।

लोक-संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। वह केवल कला या अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका होती है। इसमें प्रकृति के साथ संतुलन, सामूहिकता की भावना और जीवन के प्रति एक सहज दृष्टिकोण शामिल होता है। जब इस लोक-संस्कृति को सभ्यता के दायरे में लाया जाता है, तो उसकी यह व्यापकता सीमित हो जाती है। वह केवल कुछ विशेष रूपों—जैसे लोकगीत, लोकनृत्य या लोककला—तक सीमित कर दी जाती है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप कहीं अधिक व्यापक होता है।

शाही इस बात पर जोर देते हैं कि लोक-संस्कृति को समझने के लिए उसकी जैव-सामाजिक पुनर्व्याख्या आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि हमें लोक को केवल सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखना होगा। लोक का संबंध केवल अतीत से नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी होता है। वह लगातार बदलता है, नए अनुभवों को आत्मसात करता है और अपने स्वरूप को विकसित करता रहता है। इसलिए उसे स्थिर या जड़ मानना उसकी वास्तविकता के साथ अन्याय करना है।

आज के समय में, जब वैश्वीकरण और बाजारवाद का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, लोक-संस्कृति एक नए प्रकार के संकट का सामना कर रही है। बाजार लोक को एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इससे लोक की मौलिकता और उसकी सामाजिक भूमिका कमजोर होती है। लोककलाएं, जो कभी समुदाय की पहचान और अभिव्यक्ति का माध्यम थीं, अब 'इवेंट' या 'प्रोडक्ट' बनकर रह गई हैं। इस प्रक्रिया में लोक का आत्मा कहीं खो जाती है और केवल उसका बाहरी रूप बचता है।

इसके साथ ही, भाषा के स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोकभाषाएं, जो कभी समाज के बड़े हिस्से की अभिव्यक्ति का माध्यम थीं, धीरे-धीरे हाशिये पर जा रही हैं। उनकी जगह एक मानकीकृत और औपचारिक भाषा ले रही है, जो लोक के अनुभवों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी होती है। इसलिए जब लोकभाषाएं कमजोर होती हैं, तो उनके साथ जुड़ी पूरी सांस्कृतिक विरासत भी खतरे में पड़ जाती है।

राजनीतिक स्तर पर भी लोक का उपयोग अक्सर सत्ता के हितों के अनुसार किया जाता है। लोकमिथकों और परंपराओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वे सत्ता के पक्ष में काम करें। इस प्रक्रिया में उनके मूल अर्थ और उद्देश्य बदल जाते हैं। लोक, जो कभी प्रतिरोध और स्वतंत्रता का प्रतीक था, अब कई बार सत्ता के उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। यह स्थिति न केवल लोक के लिए, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी चिंताजनक है।

इन सभी परिस्थितियों के बीच, शाही की यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है—क्या लोक का पुनर्जागरण संभव है? इसका उत्तर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। हमें लोक को केवल अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित और गतिशील शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि लोक केवल गांवों या पारंपरिक समाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शहरों और आधुनिक जीवन में भी मौजूद है, बस उसके रूप बदल गए हैं।

लोक का पुनर्जागरण तभी संभव है, जब हम उसे उसकी स्वाभाविकता के साथ स्वीकार करें और उसे अपने ढांचे में ढालने के बजाय उसके साथ संवाद स्थापित करें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोक-संस्कृति को केवल प्रदर्शन या उपभोग की वस्तु न बनाया जाए, बल्कि उसे उसके वास्तविक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा और संरक्षित किया जाए।

ओपेक के हाथ से फिसलता तेल का बाजार

ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन का उदय तेल उत्पादक देशों की उस आकांक्षा से हुआ था, जिसके केंद्र में अपने संसाधनों, उत्पादन और आय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की इच्छा थी। 1960 में जब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद में इस संगठन की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य केवल तेल की कीमतों को प्रभावित करना नहीं था। इसके साथ वे उस वैश्विक व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे, जिसमें तेल उत्पादक देशों के पास संसाधन तो थे, लेकिन कीमत, उत्पादन और आय पर निर्णायक प्रभाव विदेशी कंपनियों और उपभोक्ता देशों का था।

इस पृष्ठभूमि में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने को केवल उत्पादन कोटे पर मतभेद या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना अधूरा होगा। यह ऊर्जा संप्रभुता की बदलती परिभाषा का संकेत है। 1960 में तेल उत्पादक देशों के लिए सामूहिक मंच बनाना जरूरी था, लेकिन आज 2026 में यूएई जैसे देशों को अपना हित स्वतंत्र निर्णय लेने में है। ओपेक ने तेल उत्पादक देशों को सामूहिक शक्ति दी थी। यूएई अब वही नियंत्रण सामूहिक उत्पादन सीमाओं के बजाय अपनी क्षमता, अवसंरचना और दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति के आधार पर हासिल करना चाहता है।

ओपेक की ऐतिहासिक भूमिका निर्विवाद है। उसने तेल उत्पादक देशों को अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों और बड़े उपभोक्ता देशों के सामने सामूहिक शक्ति दी। 1970 के दशक में तेल केवल व्यापारिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया। सऊदी अरब ने अपने विशाल भंडार और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण इस व्यवस्था में विशेष स्थान बनाया, लेकिन आज तेल बाजार पहले जैसा नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। रूस, कनाडा, ब्राजील, गुयाना और अन्य गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। 2016 में ओपेक प्लस का विस्तार इसी बदली हुई वास्तविकता की स्वीकृति था।

ओपेक अप्रासंगिक तो नहीं हुआ, लेकिन तेल बाजार अब उसकी मूल संरचना से आगे निकल चुका है। यूएई की रणनीति भी इसी से जुड़ी है। वह केवल तेल निर्यातक देश बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह ऊर्जा, लाजिस्टिक्स, वित्त, तकनीक और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तेल उत्पादन सीमा से बंधे रहना उसकी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति से मेल नहीं खाता। उसके लिए यह केवल तेल उत्पादन का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। दुनिया में तेल की मांग अभी समाप्त नहीं हुई है, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नीतियों की ओर बढ़ रही है।

ऐसे में कम लागत पर तेल निकालने वाले देशों के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या वे कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्पादन सीमित रखें या अपने संसाधनों को समय रहते आय में बदलकर भविष्य की तैयारी करें? यूएई का झुकाव दूसरे विकल्प की ओर दिखाई देता है। ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिरता ने इस सोच को और प्रासंगिक बना दिया है। पाइपलाइन अवसंरचना के कारण यूएई के पास सीमित ही सही, लेकिन ऐसा विकल्प है, जो संकट के समय खरीदारों को अतिरिक्त भरोसा देता है। इसका महत्व एशिया के लिए विशेष है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अब केवल तेल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसकी दिशा प्रभावित करने वाले बड़े आयातक हैं। उनकी मांग, रिफाइनिंग क्षमता और दीर्घकालिक अनुबंध तेल उत्पादक देशों की रणनीति को प्रभावित करते हैं। यदि यूएई अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है, तो एशियाई देशों की आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है और ऊर्जा कीमतों से जुड़ा आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है।

अमेरिका ऐसी व्यवस्था को सकारात्मक मान सकता है, जिसमें तेल बाजार पर कुछ सीमित उत्पादकों का प्रभाव कम हो। रूस के लिए यह बदलाव मिश्रित है। जहां एक तरफ ओपेक प्लस ने उसे औपचारिक सदस्यता के बिना तेल समन्वय में भूमिका दी, वहीं दूसरी तरफ ओपेक के कम प्रभावी होने से उसका लाभ होना भी सुनिश्चित है। सऊदी अरब के लिए यूएई का निर्णय चुनौती है, लेकिन इसे क्षेत्रीय टकराव का नाम देना सही नहीं होगा। सऊदी अरब अपने तेल भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा। यूएई का कदम इस तरफ इशारा करता है कि खाड़ी की ऊर्जा राजनीति अब अधिक विविध हो रही है। अब खाड़ी देश अपनी-अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुसार अलग रास्ते अपना सकते हैं।

चूंकि कई देश अब भी ओपेक को उपयोगी मानते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर सदस्य देशों के बाहर निकलने की संभावना कम है। फिर भी यूएई का कदम दिखाता है कि ओपेक पहले की तरह सभी सदस्यों को एक समान उत्पादन नीति में बांधकर नहीं रख पाएगा। ईरान के संदर्भ में भी संतुलन जरूरी है। उसके पास बड़े ऊर्जा संसाधन हैं, पर प्रतिबंधों और निवेश की कमी ने उसकी क्षमता सीमित कर दी है। ओपेक कमजोर होगा तो ईरान और खाड़ी देशों के बीच संवाद का एक मंच कमजोर पड़ सकता है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में क्या कोई बदलाव ओआइसी और अरब लीग जैसे संगठनों में भी होंगे?

अभियान

अधर्म के अंधकार में धर्म की ज्योति: नरसिंह अवतार का दिव्य संदेश

भारतीय सनातन परंपरा में जब-जब धर्म पर संकट आया है और अधर्म ने अपने पांव फैलाए हैं, तब-तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया है। यही शाश्वत सत्य भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में भी प्रकट होता है, जो केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और न्याय की एक गहन दार्शनिक व्याख्या है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली नरसिंह जयंती इस दिव्य अवतार की स्मृति को जीवंत करती है और यह संदेश देती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हेतु किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।

सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था, तब ब्रह्मा ने लोकों की रचना के लिए तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार के रूप में अवतार लिया। ये सनकादि मुनि ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक थे। एक प्रसंग में जब ये मुनि वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन हेतु पहुंचे, तब द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। यह घटना केवल एक साधारण अपमान नहीं थी, बल्कि अहंकार और विनम्रता के बीच का टकराव थी। क्रोधित होकर सनकादि मुनियों ने जय-विजय को राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दिया, जो आगे चलकर सृष्टि के एक बड़े नाटक का कारण बना।

शाप के फलस्वरूप जय और विजय ने सतयुग में दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के मद में पृथ्वी को पाताल में ले जाकर संतुलन बिगाड़ दिया, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप के मन में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उसने संकल्प लिया कि वह स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि उसे कोई पराजित न कर सके।

इस उद्देश्य से हिरण्यकश्यप ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा और न ही किसी देवता द्वारा। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना देता है। इस अजेयता के अहंकार में उसने समस्त लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को उसकी पूजा करने के लिए बाध्य किया।

लेकिन इस अत्याचार के बीच एक दिव्य प्रकाश भी था—उसका पुत्र प्रह्लाद। प्रह्लाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके भीतर भक्ति का ऐसा बीज अंकुरित था, जिसे कोई भी भय या प्रलोभन समाप्त नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, उसे डराया-धमकाया, लेकिन प्रह्लाद की आस्था अडिग रही। यह स्थिति उस गहरे सत्य को दर्शाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी बाहरी दबाव से नहीं डिगती।

जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा नहीं मान रहा, तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। उसे विष दिया गया, आग में बैठाया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित बच गए। यह घटनाएं केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह संकेत हैं कि जब किसी के हृदय में सच्ची भक्ति होती है, तो स्वयं प्रकृति भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है।

अंततः वह क्षण आया, जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रह्लाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां है। प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि वह हर जगह हैं, यहां तक कि इस खंभे में भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया, और उसी क्षण उस खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ—नरसिंह। यह रूप न पूरी तरह मनुष्य था और न ही पशु, बल्कि दोनों का अद्भुत संयोग था।

नरसिंह अवतार का प्रकट होना केवल एक दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मा के वरदान की सीमाओं के भीतर रहकर उसे निष्प्रभावी करने का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने संध्या समय, जो न दिन था और न रात, हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर, जो न धरती थी और न आकाश, बिठाकर, अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे और न शस्त्र, उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की लीला और न्याय की व्यवस्था मानव बुद्धि से कहीं परे है।

हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका उग्र रूप संपूर्ण सृष्टि के लिए भय का कारण बन गया। देवता, ब्रह्मा, यहां तक कि देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत नहीं कर सकीं। अंततः प्रह्लाद ने आगे बढ़कर उनके चरणों को स्पर्श किया और अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें शांत किया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में वह शक्ति है, जो ईश्वर के उग्रतम रूप को भी शांति में परिवर्तित कर सकती है।

प्रह्लाद को आशीर्वाद देते हुए नरसिंह भगवान ने उन्हें राज्य सौंपा और धर्मपूर्वक शासन करने का निर्देश दिया। यह घटना केवल एक कथा का समापन नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जहां धर्म की स्थापना और न्याय का शासन होता है।

नरसिंह अवतार का यह संपूर्ण प्रसंग हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। यह बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। यह भी स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। साथ ही, यह संदेश भी देता है कि ईश्वर का न्याय अद्भुत और अचूक होता है, जो हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करता है।

आज के युग में, जब समाज अनेक प्रकार के नैतिक और सामाजिक संकटों से गुजर रहा है, नरसिंह अवतार की यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने भीतर के प्रह्लाद को जीवित रखना चाहिए—वह प्रह्लाद, जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि हिरण्यकश्यप केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि वह अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक है, जो आज भी विभिन्न रूपों में हमारे समाज में मौजूद है।

अंततः, नरसिंह अवतार केवल अतीत की एक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है, जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है। यह विश्वास ही हमें जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आशा और साहस प्रदान करता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राजनीतिक भूचाल: AAP से BJP में गए 7 सांसदों का राष्ट्रपति से मिलना और सत्ता-संघर्ष की नई परतें

जीएनएस)। भारतीय राजनीति में दल-बदल और उससे जुड़े संवैधानिक विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला राज्यसभा के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ जाए और सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए, तो यह केवल राजनीतिक बदलाव नहीं रहता, बल्कि एक संस्थागत बहस का रूप ले लेता है। इसी पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सात राज्यसभा सांसदों का 5 मई को राष्ट्रपति से प्रस्तावित मिलना अब राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है।

यह मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह 10:40 बजे तय की गई है। इन सांसदों का कहना है कि वे पंजाब सरकार पर कथित "राजनीतिक प्रतिशोध" के मामलों को राष्ट्रपति के सामने रखेंगे और अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक तनाव को और अधिक गहरा कर दिया है।

इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव वह है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सात सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। इस विलय को राज्यसभा में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल माना जा रहा है, क्योंकि इन सांसदों की संख्या आम आदमी पार्टी की संसद में मौजूद ताकत का एक बड़ा हिस्सा थी।

राज्यसभा सभापति द्वारा उनके विलय को मंजूरी दिए जाने के बाद यह मामला औपचारिक रूप से संवैधानिक दायरे में आ गया है। इन सांसदों का तर्क है कि उन्होंने यह कदम राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के कारण उठाया है, जबकि विपक्ष इसे एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में दल-बदल कानून वास्तव में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित कर पा रहा है या यह बड़े पैमाने पर दलबदल को वैधता प्रदान करने का माध्यम बन गया है।

इस विवाद की जड़ में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची, यानी एंटी-डिफेक्शन लॉ, मौजूद है। इसके पैराग्राफ 4 के अनुसार, यदि किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय का समर्थन करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल जाती

है। इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए इन सांसदों ने अपनी सदस्यता बनाए रखी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि, इस प्रावधान को लेकर लंबे समय से बहस जारी है, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि यह नियम बड़े राजनीतिक दलबदल को वैधता प्रदान करता है और जनादेश की भावना को कमजोर कर सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पंजाब की राजनीति भी तेजी से गर्म हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उसी दिन राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। वे इस विलय प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं और सांसदों की सदस्यता को लेकर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। पंजाब सरकार का तर्क है कि इस तरह के बड़े पैमाने पर दल-बदल से लोकतांत्रिक जनादेश प्रभावित होता है और जनता के वोट की भावना कमजोर पड़ती है।

दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक दबाव तथा रणनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम बताया है। पार्टी का कहना है कि यह केवल दल-बदल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक पुनर्संरचना है, जिसका उद्देश्य संसद में शक्ति संतुलन को प्रभावित करना है। वहीं भाजपा की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि ये सांसद स्वतंत्र निर्णय लेकर पार्टी में शामिल हुए हैं और इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं था।

इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर दल-बदल की नैतिकता और संवैधानिकता को केंद्र में ला दिया है। एक ओर यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह चिंता भी है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

राष्ट्रपति भवन में होने वाली यह मुलाकात केवल एक औपचारिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यदि इस मामले में राष्ट्रपति स्तर पर कोई टिप्पणी या संकेत आता है, तो इसका प्रभाव आने वाले समय में संसद और राज्यों की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक बदलाव केवल चुनावों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे संस्थागत और संवैधानिक बहसों का भी हिस्सा बन जाते हैं। सांसदों का दल बदलना, राज्य सरकारों का विरोध करना और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करना—ये सभी संकेत देते हैं कि यह मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक गहरी संवैधानिक चर्चा का विषय बन चुका है।

अंततः, अब सबकी नजर 5 मई की उस बैठक पर टिकी है, जो यह तय नहीं करेगी कि कौन सही है या गलत, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में दल-बदल कानून, सत्ता संतुलन और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर एक नई बहस को जन्म देगी।

वीजीआरसी दक्षिण गुजरात 2026 : यूक्रेनी और रूसी दूतावास के प्रतिनिधियों ने सूरत में ध्यान सत्र में भाग लिया

सूरत वीजीआरसी में पहुंचे आगंतुकों के लिए निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन, अब तक 200 से अधिक अतिथि हुए शामिल

जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत के हजीरा रोड स्थित ऑरो यूनिवर्सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के अंतर्गत आगंतुकों के लिए विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया है। अब तक लगभग 200 अतिथि इस ध्यान सत्र में शामिल हो चुके हैं। समिट के पहले दिन यूक्रेनी दूतावास तथा दूसरे दिन रूसी दूतावास के प्रतिनिधियों ने इस ध्यान सत्र का लाभ उठाकर प्रसन्नता व्यक्त की। समिट के अंतर्गत श्री अरबिंदो इंटीग्रल लाइफ सेंटर की ओर से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अलग-अलग बैच में आगंतुकों के लिए निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन किया गया है। इस कैम्पस में आगंतुकों को ध्यानशाला और साउंड गार्डन (संसोरियम) में ध्यान कराया जाता है। पहले दिन विशेष ध्यान सत्र के अंतर्गत

भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक, उनकी पत्नी श्रीमती काटेर्यना बिला तथा कॉन्सुलेट जनरल सुश्री ऐना जैचेन्को ध्यान सत्र में शामिल हुए।

समिट के दूसरे दिन रूसी दूतावास की ओर से जीआर और फाइनेंस सेक्टर के प्रमुख श्री ज्लाटा एंटुशेवा और इंटररीजनल रिलेशंस के प्रमुख श्री अल्बर्ट सेफियुलिन ने ध्यान सत्र का लाभ उठाया।

इसके अलावा, जापान के प्रतिनिधि भी इस ध्यान सत्र में शामिल हुए।

इस विशेष ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। विदेश से आए प्रतिनिधि, डेलीगेट्स सहित राज्य पुलिस विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने भी इस ध्यान सत्र का लाभ लिया है।

वीजीआरसी के दौरान आगामी 5 मई तक हर किसी के लिए अलग-अलग बैच में ध्यान करने की व्यवस्था की गई है।

महुवा रेलवे स्टेशन पर ईमानदारी का सराहनीय उदाहरण-यात्री की खोई हुई राशि सुरक्षित लौटाई गई

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत महुवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है, जिसमें एक यात्री की खोई हुई नकद राशि सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को वापस लौटा दी गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2026 को बांद्रा–महुवा एक्सप्रेस के ए-1 कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री को रुमाल में बंधी हुई नकद राशि प्राप्त हुई। संबंधित यात्री ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उक्त राशि महुवा स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में जमा कराई तथा सूचित किया कि यह राशि संभवतः सीट संख्या 29 पर यात्रा कर रहे यात्री की हो सकती है, जो सावरकुंडला स्टेशन पर उतर गए होंगे।

स्टेशन प्रशासन द्वारा लगभग दो घंटे तक संबंधित यात्री की प्रतीक्षा की गई, किंतु कोई भी व्यक्ति दावा करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात स्टेशन अधीक्षक द्वारा बुकिंग एवं चेकिंग स्टाफ के सहयोग से संबंधित ट्रेन में सीट संख्या 29 पर यात्रा करने वाले यात्री का पीएनआर एवं मोबाइल नंबर प्राप्त कर संपर्क स्थापित किया गया। संपर्क करने पर यात्री श्री परेश मेघानी, जिन्होंने बोरीवली से लिलिया मोटा तक यात्रा की थी, ने पुष्टि की कि उनका लगभग 3500 की राशि रुमाल में बंधी हुई ट्रेन में ही छूट गई थी। उन्होंने अपनी आयु लगभग 80 वर्ष बताते हुए स्वास्थ्य कारणों से स्वयं उपस्थित होने में असमर्थता जताई तथा अनुरोध किया कि उक्त राशि उनके परिजन को सौंप दी जाए।

दिनांक 02 मई 2026 को यात्री के परिजन श्री अश्विनभाई पड़रिया महुवा स्टेशन पहुंचे। आवश्यक पहचान प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 3518 की राशि उन्हें सुपुर्द कर दी गई। यात्री एवं उनके परिजनों ने महुवा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों एवं भारतीय रेलवे के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता पर गर्व करता है तथा यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत प्रतिबद्ध है।

वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में वृद्धि: छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर बढ़ता प्रभाव

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश भर में एक ही दिन में व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये तक पहुंच गई है। लगातार तीसरे महीने कीमत में बढ़ोतरी होने से, इसका असर होटलों, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ना तय है। इससे चाय की दुकानों, बेकरी और मिठाई की दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के साथ-साथ घरेलू खर्चों पर भी असर पड़ेगा। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहले गैस पर हमला, अब अगला हमला पेट्रोल-डीजल पर होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी 261 रुपये की बढ़ोतरी की है। छोटे सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर गरीबों और कामकाजी वर्ग पर पड़ेगा। हालांकि, घरेलू एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की

कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने शुक्रवार को इस मूल्य संशोधन की घोषणा की। यह वृद्धि केवल व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों और पांच किलोग्राम के सिलेंडरों पर लागू होगी। घरेलू एलपीजी (सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर) की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इस मूल्य वृद्धि से रेस्तरां, खानपान सेवाओं और छोटे व्यवसायों के मुनाफे में कमी आने की आशंका है। इनमें से कई व्यवसाय अपने दैनिक कार्यों के लिए व्यावसायिक एलपीजी पर निर्भर हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे कई महानगरों में बढ़ते किराए और मजदूरी के कारण रेस्तरां मालिकों के मुनाफे पर हाल के दिनों में दबाव बना हुआ है, जहां मुनाफा कम होने के कारण होटल मालिकों को अपने ग्राहकों पर इसका असर न पड़े, इसलिए कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करना होगा।

शिक्षा में बढ़ते निजीकरण के कारण फीस महंगी हो गई है जिससे गुणवत्ता और सामाजिक हित के बारे में सवाल उठ रहे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात समेत पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र के निजीकरण ने गुजरात की महाजन संस्कृति को नष्ट कर दिया है। एक समय था जब उद्योगपति अपने मुनाफे का इस्तेमाल समाज के हित में शिक्षण संस्थान खोलने में करते थे। अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी और गुजरात लॉ सोसाइटी इसके सशक्त उदाहरण थे। आज, निरमा के करसनदास पटेल या मुकेश अंबानी ऐसे कॉलेज या विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जिनसे उन्हें सिर्फ मुनाफा मिलता है? क्या वे शिक्षा से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं? अब तो छोटे उद्योगपति भी इस धंधे में उतर आए हैं और इसीलिए स्व-वित्तपोषित कॉलेज और विश्वविद्यालय हर जगह धड़ाधड़ खुल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार ने उच्च शिक्षा से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया हो, है ना?

और सबसे बुरी बात यह है कि समाज की सेवा के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित करने वाले ट्रस्ट अब स्व-वित्तपोषित संस्थान बन गए हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के निजीकरण को खुली छूट दे दी है और यही परिणाम है। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद भी सरकार ने पर्याप्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने दी। इसलिए, राज्य सरकार ने जानबूझकर अनुदान प्राप्त कॉलेजों को बंद करने की योजना बनाई और नए अनुदान प्राप्त कॉलेजों की स्थापना की अनुमति नहीं दी। इस तरह निजीकरण लगभग

पूरा हो गया। शिक्षा अत्यधिक महंगी हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण राज्य सरकार की नीति है। गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर दावा करती है कि 2001 में गुजरात में 15 विश्वविद्यालय थे और आज 45 विश्वविद्यालय हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन विश्वविद्यालयों में फीस कितनी है और क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्वविद्यालयों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि अच्छे शिक्षक छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें।

शेयर बाजार में हल्की बढ़त, चार बड़ी कंपनियों की संपत्ति में 2.20 लाख करोड़ का उछाल

जीएनएस)। नई दिल्ली में पिछले छोटे कारोबारी सप्ताह के दौरान शेयर बाजार में सीमित लेकिन सकारात्मक रुझान देखने को मिला। छुट्टियों के कारण कम कारोबारी सत्र रहे इस सप्ताह में बीएसई सेंसेक्स में 249.29 अंकों यानी 0.32 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, पूरे सप्ताह बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा और निवेशकों की धारणा वैश्विक व घरेलू संकेतों के बीच संतुलित बनी रही।

इस अवधि में देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार कंपनियों ने मिलकर लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण जोड़ लिया, जिससे इन कंपनियों के निवेशकों की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक फायदा देश की सबसे बड़ी कंपनी को हुआ, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सप्ताह सबसे मजबूत प्रदर्शन किया।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस हल्की बढ़त के पीछे कई मिश्रित कारक जिम्मेदार रहे। अजीत मिश्रा के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कुछ कमी और कुछ कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों ने शुरुआत में बाजार को सहारा दिया। लेकिन बाद में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने बाजार की रफ्तार को सीमित कर दिया। इस सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ-साथ कुछ अन्य बड़ी कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल, टीसीएस और बजाज फाइनेंस के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जिससे इनके बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। खासकर टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेशकों की रुचि बनी रही, जिसका सीधा असर इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण इस सप्ताह 1,39,655.8 करोड़ रुपये बढ़कर 19,36,303.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो इसे एक बार फिर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाए रखता है। वहीं भारती एयरटेल का मार्केट कैप 43,503.51 करोड़ रुपये बढ़कर 11,49,222.13 करोड़ रुपये हो गया। टीसीएस और बजाज फाइनेंस ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और उनके बाजार मूल्य में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई।

दूसरी ओर, बैंकिंग और कुछ प्रमुख ब्लूचिप कंपनियों में गिरावट का रुख देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी जैसी कंपनियों के संयुक्त बाजार मूल्य में लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग सेक्टर में यह कमजोरी मुख्य रूप से मुनाफावसूली और वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के कारण देखी गई।

रेल सुरक्षा बल की तत्परता से यात्रा के दौरान छूटा महंगा लैपटॉप एवं अन्य सामान सुरक्षित वापस मिला

जीएनएस)। भारतीय रेल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल कर्मी ने एक बार फिर तत्परता का परिचय देते हुए तेजस एक्सप्रेस में मुंबई से नई दिल्ली यात्रा कर रहे यात्री के छूटे महंगे लैपटॉप सहित लगभग 3.5 लाख रूपए का सामान यात्री को सफलतापूर्वक लौटाया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2026 को ट्रेन संख्या 12951 तेजस एक्सप्रेस के कोच संख्या B-9 में मुंबई से नई दिल्ली की यात्रा कर रहे श्री सूरज झा सूरत स्टेशन पर खाने का सामान लेने उतरे। वापिस ट्रेन पर आते समय गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए और गाड़ी रवाना हो गई। जिस कारण सूरज जी का एक ग्रीन कलर ट्राली बैग व लैपटॉप बैग उक्त ट्रेन में छूट गए।

यात्री द्वारा तत्काल रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर इसकी सूचना दी गई। छूट जाने की सूचना प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) SIPF निशा मीणा साथ में स्टाफ द्वारा वडोदरा स्टेशन पर खड़ी मुंबई - नई दिल्ली तेजस ट्रेन के कोच संख्या B-9 की जांच के दौरान सीट पर सुरक्षित अवस्था में सामान प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया एक ग्रीन कलर का ट्राली बैग व लैपटॉप बैग सामान मिला जिसको पोस्ट पर लाकर जमा किया।

यात्री द्वारा बताए गए विवरण से सामान का मिलान करने तथा आवश्यक सत्यापन के

उपरांत उप निरीक्षक निशा मीणा द्वारा उक्त तीन लैपटॉप, हेडफोन, चार्जर व कपड़े होना बताया। जिसकी कीमत लगभग 3 .5 लाख रूपए थी, जिसे संबंधित यात्री सूरज झा जी को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। अपने लैपटॉप सुरक्षित वापस मिलने पर यात्री श्री सूरज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा संचालित रेल मदद 139 हेल्पलाइन की त्वरित एवं प्रभावी सेवा की सराहना की। साथ ही उन्होंने आरपीएफ वडोदरा पोस्ट की तत्परता तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा की।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी वस्तु के छूट जाने या आपात स्थिति में तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन अमानत' यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को खोजकर उन्हें सुरक्षित लौटाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य कर रहा है, जिससे यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो रही है।

हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल, अब खुलने लगी परतें, घर, फ्लैट, दुकान खरीदारों के सपनों पर खतरे की घंटी!

जीएनएस)। गुजरात के वलसाड जिले तथा पड़ोसी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव क्षेत्र में बीते वर्षों में तेजी से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और टाउनशिपों का विस्तार हुआ है। हजारों परिवारों ने अपनी जीवनभर की कमाई, बैंक लोन, गहने बेचकर या वर्षों की बचत लगाकर घर, फ्लैट और दुकानें खरीदीं। अधिकांश लोगों ने यह मानकर निवेश किया कि जिस बिल्डिंग में वे प्रवेश कर रहे हैं, वह कानूनी रूप से सुरक्षित, नियमों के अनुरूप और भविष्य के लिए भरोसेमंद होगी।

लेकिन अब अनेक स्तरों पर ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही हैं, जिन्होंने इस विश्वास पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर यह शिकायतें और आशंकाएँ उठ रही हैं कि कुछ स्थानों पर निर्माण स्वीकृत नक्शे से अलग हुआ, कहीं रोड मार्जिन और खुली जगहों का पालन नहीं किया गया, कहीं बरसाती नालों, जल निकासी मार्गों या सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ की गई, कहीं फायर सेफ्टी व्यवस्था अधूरी है, तो कहीं भूमि अभिलेख, सरकारी पोर्टल और खरीदारों को दिए गए दस्तावेजों में अंतर बताया जा रहा है। यदि इन बातों में सत्यता है, तो मामला केवल निर्माण त्रुटि का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा का है।

सबसे बड़ा प्रश्न – खामियाजा कौन भुगतेगा?

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में भविष्य में अनियमितता सिद्ध होती है, यदि कोई विभाग कार्रवाई करता है, यदि अदालत में विवाद उठता है, यदि अवैध निर्माण हटाने का आदेश आता है, यदि फायर सेफ्टी या संरचनात्मक कमी सामने आती है, यदि जल निकासी बाधित होने से सार्वजनिक समस्या पैदा होती है, या यदि भूमि रिकॉर्ड विवादित निकलता है—तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा?

उत्तर सरल है—उस खरीदार पर, जिसने ईमानदारी से पैसा देकर संपत्ति खरीदी। बिल्डर तो अधिकांश मामलों में परियोजना बेचकर आगे बढ़ चुका होता है। लाभ ले चुका होता है। नई परियोजनाओं में प्रवेश कर चुका होता है। लेकिन खरीदार उसी भवन में रहता है, EMI भरता है, परिवार बसाता है, बच्चों का भविष्य जोड़ता है और उसी पते पर अपनी पूरी जिंदगी की योजना बनाता है।

यानी लाभ किसी और का, जोखिम किसी और के सिर।

क्या केवल स्वीकृति मिल जाना पर्याप्त है? आम नागरिक अक्सर यह मान लेते हैं कि यदि बिल्डिंग बन गई, बिजली-पानी आ गया, पजेशन मिल गया, रजिस्ट्री हो गई और सरकारी कागज मौजूद हैं, तो सब कुछ सही होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कागजी स्वीकृति हमेशा पर्याप्त नहीं होती।

यदि स्वीकृति गलत जानकारी देकर ली गई हो, यदि वास्तविक निर्माण स्वीकृत प्लान से अलग हो, यदि निरीक्षण में लापरवाही हुई हो, यदि प्रभाव या भ्रष्टाचार से नियमों की अनदेखी हुई हो—तो भविष्य में वही फाइलें विवाद का कारण बन सकती हैं। यानी आज जो दस्तावेज सुरक्षित लग रहे हैं, वही कल जांच का विषय बन सकते हैं।

शिकायतें और भी गंभीर हैं

कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि भूमि विवाद लंबित रहते हुए विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ गई, मुकदमे चलते रहे और दूसरी ओर निर्माण भी हो गया। कुछ स्थानों पर प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। कहीं यह सवाल उठ रहे हैं कि जो सर्वे नंबर सरकारी रिकॉर्ड में है, वही खरीदार के दस्तावेज में क्यों नहीं दिखता। यदि ऐसी स्थितियाँ सही पाई जाती हैं, तो यह साधारण तकनीकी गलती नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक और कानूनी विषय है।

खरीदार क्यों नहीं समझ पाता?

एक आम परिवार घर खरीदते समय बिल्डर के ब्रॉशर, मॉडल फ्लैट, लोकेशन, कीमत, EMI योजना और पजेशन डेट पर ध्यान देता है। वह शायद ही यह जांच पाता है कि स्वीकृत प्लान क्या है, सेटबैक कितना होना चाहिए, फायर सिस्टम पूर्ण है या नहीं, भूमि रिकॉर्ड क्या कहते हैं, या निर्माण सभी शर्तों के अनुसार हुआ है या नहीं।

कारण भी स्पष्ट है—आम नागरिक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर या कानूनी विशेषज्ञ नहीं होता। वह विश्वास के आधार पर खरीदता है। और यदि यही विश्वास टूटे, तो सबसे बड़ी चोट भी उसी को लगती है।

समय रहते जागना जरूरी

विशेषज्ञ मानते हैं कि खरीदारों को अपने प्रोजेक्ट्स के मूल दस्तावेज, स्वीकृत नक्शा, Completion Certificate, Occupancy Certificate, फायर NOC, भूमि रिकॉर्ड, सोसाइटी दस्तावेज और कॉमन एरिया स्थिति की जानकारी समय रहते प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि वर्षों बाद समस्या सामने आने पर जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है। समय बदलता है, कंपनियाँ बदलती हैं, मालिक बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, रिकॉर्ड गायब होते हैं, और कई बार जिम्मेदार लोग उपलब्ध भी नहीं रहते। तब पीड़ित वही बनता है जिसने जीवनभर की कमाई लगाई होती है।

अब सवाल जनता का है

यदि खरीदार ने पूरा भुगतान किया, स्टाम्प ड्यूटी दी, टैक्स दिया, बैंक ब्याज भरा और परिवार का भविष्य दांव पर लगाया—तो क्या उसे नियमसम्मत, सुरक्षित और निर्विवाद संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए?

यह प्रश्न अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। यह सार्वजनिक हित, शहरी नियोजन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों का प्रश्न बन चुका है। क्योंकि यह केवल इमारतों की कहानी नहीं—यह हजारों परिवारों के सपनों, अधिकारों और भविष्य का मामला है।

सूरत नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: पहली बार सख्त एसओपी लागू, जवाबदेही और अनुशासन पर जोर

जीएनएस)। सूरत में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सूरत नगर निगम में पहली बार कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था को नगर आयुक्त एम. नागराजन की पहल पर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से सामने आ रही अनुशासनहीनता और प्रशासनिक ढिलाई पर नियंत्रण पाना है।

नगर निगम में पिछले कुछ समय से विभिन्न जोनों और मुख्य कार्यालयों से फाइलों के निपटारे में देरी, कार्यों में लापरवाही और कुछ मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इन समस्याओं को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने तय किया कि अब कर्मचारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है, ताकि नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

नई एसओपी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में किसी भी लापरवाही या अनियमितता पर संबंधित कर्मचारी से 1 से 3 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो दूसरे चरण में 7 दिनों की समयसीमा के साथ मेमो जारी किया जाएगा। इसके बाद भी सुधार न होने पर तीसरे चरण में 15 दिन की अवधि वाला शो-कॉज नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आर्थिक दंड और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे।

सबसे सख्त व्यवस्था चौथे चरण में लागू होगी, जहां गंभीर मामलों जैसे भ्रष्टाचार, गंभीर अनुशासनहीनता या नैतिक आचरण के उल्लंघन पर सीधे चार्जशीट जारी की जाएगी। इसके बाद संबंधित कर्मचारी को 21 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि गंभीर मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

नई गाइडलाइन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब विभागीय जांच को अधिकतम 180 दिनों यानी छह महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि जांच अधिकारी तय समय में जांच पूरी नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान जांच प्रक्रिया में देरी को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एसओपी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही से नगर निगम को वित्तीय नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई संबंधित कर्मचारी के वेतन से की जाएगी। वहीं, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कड़े कदम उठाए जा सकेंगे। इससे यह संदेश जाता है कि अब किसी भी स्तर पर अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेकर जांच से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी। नए नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के चार वर्षों के भीतर भी किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा सकेगी। यह प्रावधान पहले की तुलना में अधिक सख्त माना जा रहा है और इसका उद्देश्य जवाबदेही को दीर्घकालिक बनाना है।

हालांकि, इस पूरी प्रणाली में कर्मचारियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी कर्मचारी को किसी कार्रवाई पर आपत्ति होती है, तो वह 45 दिनों के भीतर स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष अपील कर सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अनुशासन के साथ-साथ न्याय की प्रक्रिया भी संतुलित बनी रहे।

यह नया प्रशासनिक ढांचा केवल दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसे सेवा सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। सूरत नगर निगम का यह कदम शहरी प्रशासन में एक उदाहरण बन सकता है, जहां स्पष्ट नियमों और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इससे जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ेगा और सरकारी तंत्र अधिक पारदर्शी बनेगा।

अंततः, सूरत नगर निगम की यह पहल यह दर्शाती है कि आधुनिक शहरी प्रशासन में केवल नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सख्ती और स्पष्टता के साथ लागू करना भी उतना ही जरूरी है। यह कदम आने वाले समय में अन्य नगर निकायों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है।

मौसम का बदला मिजाज: दिल्ली से पहाड़ों तक आंधी-बारिश का असर, 15 राज्यों में अलर्ट जारी

जीएनएस)। देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और गर्मी से परेशान लोगों को जहां एक ओर राहत मिली है, वहीं कई राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं ने सतर्कता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम का यह बदला रुख अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दिल्ली में 3 और 4 मई के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लंबे समय से गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों के लिए यह मौसम राहत भी लेकर आया है, लेकिन साथ ही सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 से 8 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। यह बदलाव न केवल तापमान में गिरावट लाएगा, बल्कि पर्यटन स्थलों पर दृश्य भी बदल देगा। हालांकि 4 और 5 मई को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, जिससे फसलों और बागवानी पर असर पड़ सकता है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहां 3 से 6 मई के बीच गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जो पेड़ों, बिजली के खंभों और अस्थायी ढांचों के लिए खतरा बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी है।

राजस्थान में भी मौसम ने अलग ही रूप दिखाया है। जयपुर समेत कई जिलों में सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि जैसलमेर और फलोदी जैसे क्षेत्रों में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो राज्य में गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है। 4 मई को बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम और अधिक अस्थिर रह सकता है।

पूर्वी भारत में भी व्यापक स्तर पर मौसम गतिविधियां जारी हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। इससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो सकता है, बल्कि कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ने की संभावना है।

मध्य भारत में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 3 से 6 मई के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। यह बदलाव जहां एक ओर गर्मी से राहत देगा, वहीं अचानक मौसम परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य और यातायात संबंधी चुनौतियां भी बढ़ा सकता है।

दक्षिण भारत में केरल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, इडुक्की और मलप्पुरम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और सामान्य जीवन प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में भी अगले पांच दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक संरचना के कारण पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियों के प्रति संवेदनशील रहता है, ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना आवश्यक है।

इस पूरे मौसम बदलाव का एक सकारात्मक पहलू यह है कि लंबे समय से चल रही गर्मी से राहत मिली है और कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दूसरी ओर तेज हवाएं, ओलावृष्टि और भारी बारिश कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। किसानों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलता मौसम फसलों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण हो रहा है, जो अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रह सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

अंततः, देश का यह बदला हुआ मौसम एक ओर राहत लेकर आया है, तो दूसरी ओर सतर्कता की आवश्यकता भी बढ़ा रहा है। यह समय प्रकृति के संतुलन को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने का है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से सुरक्षित रहा जा सके।

सूरत की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को झटका : बैंकॉक फ्लाइट बंद, वैश्विक कनेक्टिविटी पर सवाल

जीएनएस)। सूरत शहर की हवाई कनेक्टिविटी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद जिस तेजी से वैश्विक उड़ानों के विस्तार की उम्मीद जगी थी, वह अब कमजोर पड़ती दिख रही है। ताजा फैसले में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सूरत से बैंकॉक जाने वाली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को अचानक बंद कर दिया है, जिससे शहर की आखिरी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट भी खत्म हो गई है।

यह वही सूरत एयरपोर्ट है जिसे कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली थी और जहां से खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी उड़ानों का विस्तार होने की उम्मीद थी। लेकिन लगातार उड़ानों के बंद होने से यह उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं और यात्रियों, व्यापारियों तथा एनआरआई समुदाय में निराशा बढ़ रही है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सेवा बंद ऐसे समय में की गई है जब इस रूट पर यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत अच्छी बनी हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में सूरत–बैंकॉक सेक्टर पर 7,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की थी और औसत लोड फैक्टर लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच गया था। सामान्य तौर पर एविएशन इंडस्ट्री में यह आंकड़ा किसी भी रूट को लाभकारी मानने के लिए मजबूत संकेत माना जाता है। इसके बावजूद एयरलाइन ने इस रूट को घाटे वाला बताते हुए सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।

यह फ्लाइट सप्ताह में चार दिन—सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार—संचालित होती थी। सुबह 10:50 बजे सूरत से उड़ान भरने के बाद यह फ्लाइट शाम 5:10 बजे बैंकॉक पहुंचती थी। यह सेवा न केवल पर्यटन के लिए बल्कि व्यापारिक यात्राओं और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी।

अब स्थिति यह है कि सूरत से कोई भी डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ान उपलब्ध नहीं है, जिससे शहर की वैश्विक कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित हो गई है। पहले से ही दुबई और शारजाह जैसे प्रमुख रूट भी विभिन्न कारणों से बंद या निलंबित किए जा चुके हैं। खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और कम मुनाफे को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया गया था। इस तरह धीरे-धीरे सूरत की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं सीमित होती गईं और अब स्थिति लगभग शून्य पर पहुंच गई है।

एविएशन विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या सिर्फ मांग की नहीं, बल्कि लागत और ऑपरेशनल रणनीति की भी है। कई एयरलाइंस छोटे और मध्यम अंतरराष्ट्रीय शहरों को लाभकारी रूट नहीं मानतीं, भले ही वहां यात्री लोड अच्छा हो। विमान ईंधन की कीमतें, ग्राउंड ऑपरेशन खर्च और स्लॉट मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां भी इन निर्णयों में बड़ी भूमिका निभाती हैं।

वहीं दूसरी ओर, एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि उनका काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जबकि उड़ान शुरू या बंद करने का निर्णय पूरी तरह एयरलाइंस के व्यावसायिक मॉडल पर निर्भर करता है। सूरत एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह भी दावा किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और भविष्य में किसी भी नई सेवा को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

फिलहाल सूरत एयरपोर्ट पर 22 घरेलू उड़ानें संचालित हो रही हैं, जो देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय शहरों जैसे जामनगर और भुज के लिए भी उड़ानें उपलब्ध हैं, जिससे घरेलू नेटवर्क तो मजबूत बना हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की स्थिति कमजोर दिख रही है।

इस स्थिति का सीधा असर सूरत के व्यापारिक समुदाय पर पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग, हीरा व्यापार और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े व्यापारी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार की मांग कर रहे थे, ताकि विदेशी ग्राहकों और बाजारों तक सीधी पहुंच आसान हो सके। अब फ्लाइट बंद होने से उन्हें एक बार फिर मुंबई और अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर निर्भर होना पड़ेगा।

एनआरआई समुदाय के लिए भी यह बड़ा झटका है, क्योंकि सूरत और दक्षिण गुजरात से बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड, खाड़ी देशों और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में काम करते हैं या यात्रा करते हैं। सीधी उड़ान बंद होने से उनकी यात्रा समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में कोई एयरलाइन फिर से सूरत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करेगी या यह एयरपोर्ट केवल घरेलू उड़ानों तक सीमित रह जाएगा। शहर की आर्थिक संभावनाओं और बढ़ते औद्योगिक महत्व को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बाजार अभी भी संभावनाओं से भरा है, लेकिन इसके लिए स्थिर नीति और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत होगी।

फिलहाल, सूरत की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का बंद होना केवल एक रूट का खत्म होना नहीं है, बल्कि यह शहर की वैश्विक पहचान और कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा अस्थायी ब्रेक माना जा रहा है।

बांसवाड़ा में तनाव: गोकशी और धर्मांतरण विवाद के बाद हिंसा, पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा

जीएनएस)। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां गोकशी और कथित धर्मांतरण से जुड़े विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आदिवासी बहुल इस इलाके में हुई यह घटना न केवल स्थानीय शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बन गई है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

पूरा मामला कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के कलिंजरा गांव का है, जहां कुछ युवकों को सूचना मिली कि कलिंजरा डैम के पास कथित रूप से गोकशी और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह गतिविधि चोरी-छिपे एक सभा के रूप में संचालित की जा रही थी। इसी सूचना के आधार पर रवि भाभोर और उनके साथ कुछ अन्य युवक मौके पर पहुंचे।

लेकिन वहां पहुंचते ही स्थिति अचानक बदल गई और मामला विवाद से बढ़कर हिंसा में बदल गया। आरोप है कि जैसे ही ये युवक मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और कुछ ही देर में उन्होंने इन युवकों को घेर लिया। इसके बाद लाठी-डंडों, पत्थरों और गोफणों से हमला शुरू हो गया। यह हमला इतना अचानक और तीव्र था कि युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

इस हमले में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी पहचान प्रशांत तंवर, लव टेलर और आदिश राणावत के रूप में हुई है। सबसे गंभीर रूप से घायल प्रशांत तंवर को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत गुजरात के दाहोद रेफर किया गया, जबकि अन्य दो घायलों का इलाज बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं।

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तत्काल मौके पर बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन ने भी हालात पर नजर रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि किसी भी प्रकार की और हिंसा को रोका जा सके।

पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और 15 नामजद आरोपियों सहित लगभग 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

कुशलगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों में से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनिल रावत, आतिश, देवचंद और निलेश उर्फ इस्माइल शामिल हैं। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद की जड़ में दो अलग-अलग दावे हैं—एक ओर गोकशी और धार्मिक गतिविधियों का आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर दूसरी पक्ष इसे गलतफहमी और भीड़ के उग्र हो जाने का परिणाम बता रहा है। ऐसे में पुलिस अब दोनों पक्षों के बयान, घटनास्थल के साक्ष्य और वीडियो फुटेज की जांच कर रही है।

घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों में भय और असमंजस की स्थिति है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि भड़काऊ संदेशों से स्थिति और न बिगड़े।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देने और कानून को अपने हाथ में लेने के बीच की रेखा कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट सूचना पर की गई कार्रवाई अक्सर बड़े टकराव का रूप ले लेती है, जैसा कि इस घटना में देखा गया।

राजस्थान जैसे राज्य में, जहां कई इलाकों में सामाजिक और धार्मिक विविधता बहुत गहरी है, वहां ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां सामाजिक संरचना संवेदनशील होती है, वहां किसी भी तनाव का तेजी से फैलना स्वाभाविक है।

पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता अब स्थिति को सामान्य करना और सभी पक्षों से बातचीत कर शांति बहाल करना है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े और दोषियों पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो।

अंततः, बांसवाड़ा की यह घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था और संवाद ही ऐसे मामलों में स्थायी समाधान का मार्ग हो सकते हैं, अन्यथा छोटे विवाद भी बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं।

पटना में किसान हुंकार: कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान

जीएनएस)। पटना में आयोजित किसान सम्मेलन ने एक बार फिर राज्य और केंद्र की कृषि नीतियों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा (बिहार इकाई) की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में किसानों ने खेती पर बढ़ते कॉर्पोरेट प्रभाव और सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और आंदोलन को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया। यह सम्मेलन केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं रहा, बल्कि इसे किसानों के भविष्य और कृषि व्यवस्था की दिशा तय करने वाली राजनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पटना स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में बिहार के सभी 38 जिलों से 400 से अधिक किसान प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि ग्रामीण स्तर पर असंतोष केवल सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक रूप ले चुका है। बैठक में खेती पर कॉर्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ 19 सूत्रीय मांगों वाला प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि अधिकार, बीज और उर्वरक की कीमतों, तथा कृषि बाजार व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

सम्मेलन में आए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना की और उन्हें "जन-विरोधी" और "कॉर्पोरेट समर्थक" करार दिया। उनका कहना था कि कृषि क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट घरानों की बढ़ती भागीदारी छोटे और मध्यम किसानों के लिए खतरा बनती जा रही है। वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि मौजूदा नीतियां कृषि को लाभ आधारित उद्योग में बदलने की दिशा में जा रही हैं, जिससे पारंपरिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस सम्मेलन में कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही, जिनमें डॉ. अशोक धावले, राजाराम सिंह और आशीष मित्तल शामिल थे। इन नेताओं ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कृषि क्षेत्र में असंतुलन और बढ़ सकता है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार में किसान आंदोलन को गांव स्तर तक मजबूत किया जाएगा। संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करने और सदस्यता अभियान को तेज करने की योजना बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को आंदोलन से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही मई तक सभी स्तरों पर संगठनात्मक सम्मेलन पूरे करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके।

सम्मेलन में 6 से 8 जून को पूर्वी चंपारण में होने वाले राज्य सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। यह सम्मेलन आगामी आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों की एकजुट आवाज को और मजबूत करने का मंच होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आंदोलन अब केवल मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक बहस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ता गया, तो ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और पारंपरिक संरचना कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर, सरकार और नीतिगत पक्ष यह तर्क देते रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार और निजी निवेश से उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को नए बाजार मिलेंगे। लेकिन सम्मेलन में व्यक्त विचार यह दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर इस दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

सूरत के व्यापार जगत में चिंता : SMA बैठक में मंदी, लागत बढ़ोतरी और अनिश्चितता पर गंभीर मंथन

जीएनएस)। सूरत शहर के व्यापारिक माहौल में मौजूदा आर्थिक दबाव और मंदी के संकेत अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी संदर्भ में आयोजित सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन (SMA) की 216वीं साप्ताहिक बैठक में व्यापारिक गिरावट, वैश्विक अनिश्चितता और आने वाले वित्तीय वर्ष की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में न केवल समस्याओं की समीक्षा हुई, बल्कि व्यापारियों ने मौजूदा हालात को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की।

यह बैठक रविवार, 3 मई 2026 को सिटी लाइट स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित की गई, जिसमें एसएमए प्रमुख नरेंद्र साबू, पंच पैनल और कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। कुल 145 व्यापारियों ने बैठक में भाग लिया और विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर अपने विचार रखे। इस दौरान 5 औपचारिक आवेदन भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक का समाधान मौके पर आपसी सहमति से कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों को आगे की कानूनी और पंच पैनल प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया।

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापारिक स्थिति पर हुआ विस्तृत मंथन रहा, जहां व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि नया वित्तीय वर्ष 2026-27 बेहद कमजोर शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा है। कई व्यापारियों ने कहा कि वैश्विक तनाव, भू-राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता के कारण व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता और बढ़ती महंगाई ने उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है, जिससे लाभ मार्जिन लगातार दबाव में है।

बैठक में यह भी सामने आया कि अप्रैल माह में व्यापार केवल 40 से 50 प्रतिशत स्तर पर ही चल पाया, जो सामान्य स्थिति की तुलना में काफी कम है। व्यापारियों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो पूरे वित्तीय वर्ष में व्यापार में 25 से 30 प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिल सकती है। यह अनुमान सूरत के टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष रूप से चिंताजनक माना जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

सेमिनार सत्र में विशेष रूप से व्यापार विस्तार और नए अवसरों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान अतिथि के रूप में भरत भाई हरियाणी और विक्रांत उपस्थित रहे, जिन्होंने आगामी भारत व्यापार महोत्सव 2026 के बारे में जानकारी दी। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रस्तावित है, जिसमें देशभर से उत्पादों का प्रदर्शन होगा और लगभग 12 लाख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। वक्ताओं ने सूरत के व्यापारियों से इस अवसर का लाभ उठाने और अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि वर्तमान आर्थिक माहौल में व्यापारियों को केवल पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें नए प्लेटफॉर्म, प्रदर्शनी और डिजिटल मार्केटिंग की ओर भी ध्यान देना होगा। बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और ऐसे में नवाचार और नेटवर्किंग बेहद जरूरी हो गए हैं।

नरेंद्र साबू ने अपने संबोधन में व्यापारियों को हतोत्साहित न होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियां व्यापार चक्र का हिस्सा होती हैं और इन्हीं परिस्थितियों में सही निर्णय लेने वाले व्यापारी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर अवसर को समझदारी से परखकर आगे बढ़ना चाहिए और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि सूरत के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित पहचान मिलनी चाहिए और इसके लिए बड़े स्तर पर प्रदर्शनियों और एक्सपो में भागीदारी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को शेयर बाजार जैसे निवेश क्षेत्रों में सावधानी बरतने और अनुभवी सलाहकारों के मार्गदर्शन में ही निवेश करने की सलाह दी, ताकि जोखिम कम किया जा सके।

बैठक में उपस्थित अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी व्यापारिक चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए और इस बात पर सहमति जताई कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सामूहिक प्रयासों और सही रणनीति से स्थिति में सुधार संभव है।

अंत में बैठक का समापन पारंपरिक अल्पाहार के साथ हुआ, जहां व्यापारियों ने अनौपचारिक रूप से आपस में विचार साझा किए और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। कुल मिलाकर यह बैठक सूरत के व्यापारिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत रही, जिसमें चुनौतियों के साथ-साथ संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया गया।